ख़ानदानी झगड़ों
के असबाब और उनका हल
5
जस्टिस मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी
www.siratemustaqeem.com

ख़ानदानी झगड़ों

के असबाब और उनका हल

(पांचवां हिस्सा)

ख़िताब

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती
मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

अनुवादक

मु० इमरान क़ासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब — **ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल (पांचवां हिस्सा)**

ख़िताब — मौलाना मु० तक़ी उस्मानी

अनुवादक — मुहम्मद इमरान क़ासमी

संयोजक — मुहम्मद नासिर ख़ान

तायदाद — 1100

प्रकाशन वर्ष — जून 2002

कम्पोज़िंग — इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (0131-442408)

>>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(पांचवां हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

गुज़िश्ता (यानी गत) चन्द हफ़्तों से ख़ानदानी झगड़ों के मुख़्तलिफ़ असबाब का बयान चल रहा है। उन असबाब में से एक सबब वह है जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस हदीस में बयान फ़रमाया है। वह हदीस यह है कि:

ना इत्तिफ़ाक़ी का एक और सबब

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया गया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

لا تمار اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه (ترمذی شریف)

इस हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन हुक्म इर्शाद फ़रमाए। पहला हुक्म यह दिया कि अपने किसी भाई से झगड़ा मत करो। दूसरा हुक्म यह दिया कि उसके साथ ना मुनासिब मज़ाक़ मत करो। तीसरा हुक्म यह दिया कि उसके साथ कोई ऐसा वायदा न करो जिसको पूरा न कर सको। यानी वायदा ख़िलाफ़ी न करो।

अपने भाई से झगड़ा न करो

पहला हुक्म यह दिया कि:

"لا تمارك أخاك"

अपने भाई से झगड़ा न करो।

यह हमारी उर्दू ज़बान बहुत तंग ज़बान है, जब हम अ़रबी से उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो हमारे पास बहुत सीमित अल्फ़ाज़ होते हैं, इसलिए हमें इस तंग दायरे में रह कर ही तर्जुमा करना पड़ता है। इसलिए इस हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह लफ़्ज़ "ला तुमारि" इर्शाद फ़रमाया। इसके तर्जुमा के लिए हमारे पास इसके अ़लावा कोई लफ़्ज़ नहीं है कि "झगड़ा न करो" लेकिन अ़रबी ज़बान में यह लफ़्ज़ "मिराउन" से निकला है जो इसका मस्दर है, और "मिराउन" का लफ़्ज़ बहुत विस्तरित मायने रखता है। इसके अन्दर "बहस व मुबाहसा करना" झगड़ा करना, जिस्मानी लड़ाई करना, ज़बानी तू तू मैं मैं करना, ये सब इसके मफ़हूम के अन्दर दाख़िल हैं।

इसलिए चाहे जिस्मानी झगड़ा हो, या ज़बानी झगड़ा हो, या बहस व मुबाहसा हो, ये तीनों चीज़ें मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद, मुहब्बत और मिलाप पैदा करने में रुकावट बनती हैं। इसलिए जहां तक मुम्किन हो इस बात की कोशिश करो कि झगड़ा करने की नौबत न आए।

ज़रूरत के वक़्त अ़दालत से रुजू करना

हां! कभी कभी यह होता है कि एक मौक़े पर इन्सान यह महसूस करता है कि उसके हक़ ज़ाया हो गया है, अगर वह अ़दालत में उसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा नहीं करेगा तो सही तौर पर ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकेगा, उसके साथ ना इन्साफ़ी होगी और उसके साथ ज़ुल्म होगा, तो उस ज़ुल्म और ज़्यादती की वजह से मजबूरन उसको अ़दालत में जाना पड़े तो यह और बात है, वर्ना जहां तक हो सके झगड़ा चुकाओ, झगड़े में पड़ने से परहेज़ करो।

बहस व मुबाहसा न करो

यह हिदायत ख़ास तौर पर उन लोगों को दी जा रही है जो दूसरों की हर बात में टेढ़ निकालते हैं, और दूसरों की हर बात को रद्द करने की कोशिश करते हैं। यह चीज़ उनके मिज़ाज का एक हिस्सा बन जाती है कि दूसरे से ज़रूर बहस करनी है, ज़रा सी बात लेकर बैठ गए, और उस पर बहस व मुबाहसे का एक महल तामीर कर लिया। हमारे समाज में यह जो फ़ुज़ूल बहसों का रिवाज चल पड़ा

है, न उनका दीन से कोई ताल्लुक़, न दुनिया से कोई ताल्लुक़, जिनके बारे में न क़ब्र में सवाल होगा, न हश्र में सवाल होगा, न आख़िरत में सवाल होगा, लेकिन उनके बारे में लम्बी लम्बी बहस हो रही है। यह सब फ़ुज़ूल काम है। इसके नतीजे में लड़ाई झगड़े होते हैं, और फ़िर्क़े बन जाते हैं, और आपस में नफ़रत व दुश्मनी बढ़ती है।

झगड़े से इल्म का नूर चला जाता है

हज़रत इमाम मालिक रह. का मकूला है कि:

المراء يذهب بنور العلم۔

यानी यह बहस व मुबाहसा इल्म के नूर को ग़ारत कर देता है। इल्म का नूर उसके साथ मौजूद नहीं रहता। बस जिस बात को तुम हक़ समझते हो, उसको हक़ तरीक़े से और हक़ नियत से दूसरे को बता दो कि मेरे नज़्दीक यह हक़ है। अब दूसरा शख़्स अगर मानता है तो मान ले, नहीं मानता तो वह जाने उसका अल्लाह जाने। क्योंकि तुम दारोग़ा बनाकर उसके ऊपर नहीं भेजे गए कि ज़बरदस्ती अपनी बात उस से मनवाओ। जितना तुम्हारे बस में हो उसको हिक्मत से, मुहब्बत से, नर्मी से समझा दो, इस से ज़्यादा के तुम मुकल्लफ़ नहीं हो। तुम ख़ुदाई दारोग़ा बनाकर नहीं भेजे गए कि लोगों की इस्लाह तुम्हारे ज़िम्मे फ़र्ज़ हो, कि अगर उनकी इस्लाह नहीं होगी तो तुम से पूछा जायेगा, ऐसा नहीं है।

तुम्हारी ज़िम्मेदारी बात पहुंचा देना है

अरे जब अल्लाह तआ़ला ने यह फ़रमा दिया कि:

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ۔ (سورۃ المائدۃ:آیت۹۹)

यानी रसूल पर सिर्फ़ बात पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है। ज़बरदस्ती करना अंबिया का काम नहीं। तो तुम क्यों ज़बरदस्ती करते हो। इसलिए एक हद तक सवाल व जवाब करो, और जब यह देखो कि बात बहस व मुबाहसे की हदों में दाख़िल हो रही है और सामने वाला शख़्स हक़ को क़बूल करने वाला नहीं है तो उसके बाद ख़ामोश हो जाओ और बहस व मुबाहसे का दरवाज़ा बन्द कर दो।

शिकवा व शिकायत न करें

बाज़ लोगों को हर बात में शिकवा और शिकायत करने की आ़दत होती है। जहां किसी जानने वाले से मुलाक़ात हुई तो फ़ौरन कोई शिकायत जड़ देंगे कि तुमने फ़लां वक़्त यह किया था, तुमने फ़लां वक़्त यह नहीं किया था। और कभी कभी यह काम मुहब्बत के नाम पर किया जाता है, और यह जुम्ला ऐसे लोगों को बहुत याद होता है कि "शिकायत मुहब्बत ही से पैदा होती है" जिस से मुहब्बत होती है उस से शिकवा भी होता है। यह बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस शिकायत की भी एक हद होती है। जब कोई अहम बात हुई तो उस पर शिकवा कर लिया, लेकिन ज़रा ज़रा सी बात लेकर बैठ जाना कि फ़लां मौक़े पर तुमने फ़लां को दावत दी और हमें दावत नहीं दी। अरे भाई! दावत देने वाले को शरीअ़त ने यह हक़ दिया है कि जिसको चाहे दावत दे और जिसको चाहे दावत न दे, तुम्हारे पास शिकायत करने का क्या जवाज़ है कि तुम यह

कहो कि हमें दावत में क्यों नहीं बुलाया था? तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम्हें बुलाने का दिल नहीं चाहा। उस वक़्त तुम्हें बुलाने के हालात नहीं थे। लेकिन तुम इस शिकायत को लिए बैठे हो। आज हम लोग ज़रा ज़रा सी बात पर दूसरे की शिकायत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके नतीजे में सामने वाले उस से शिकायत करते हैं कि फ़लां मौक़े पर तुमने भी हमें नहीं बुलाया था। चुनांचे शिकवा और जवाबे शिकवा का एक सिलसिला चल पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिलों में मुहब्बत पैदा होने के बजाए दुश्मनी पैदा हो रही है, और आपस में नफ़रत पैदा हो रही है।

उसके अ़मल की तावील कर लो

आज मैं तजुर्बे की बात कह रहा हूं कि उसके नतीजे में घराने के घराने उजड़ गए। ज़रा ज़रा सी बात लिए बैठे हैं। अरे भाई! अगर किसी से ग़लती हो गई है तो उसको माफ़ कर दो और उसको अल्लाह के हवाले कर दो।

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माफ़ करने की कितनी तल्क़ीन फ़रमाई है। इसलिए अगर तुम माफ़ कर दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायेगा। तुम्हारा क्या नुक़सान हो जायेगा, कौन सा पहाड़ तुम पर टूट पड़ेगा, कौन सी क़ियामत तुम पर आ जायेगी? इसलिए नज़र अन्दाज़ कर जाओ, और उसके अ़मल की कोई तावील तलाश कर लो कि शायद इस वजह से दावत नहीं दी होगी, वग़ैरह।

हज़रत मुफ़्ती अ़ज़ीज़ुर्रह्मान साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि का तर्ज़े अ़मल

मेरे वालिद माजिद रह्मतुल्लाहि अ़लैहि के उस्ताज़ थे हज़रत मौलाना मुफ़्ती अ़ज़ीज़ुर्रह्मान साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि, जो दारुल उलूम देवबन्द के मुफ़्ती–ए–आज़म थे। जिनके फ़तावा का मजमूआ "फ़तावा दारुल उलूम देवबन्द" के नाम से दस जिल्दों में छप गया है। जिसमें उलूम के दरिया बहा दिए, अ़जीब व ग़रीब बुज़ुर्ग थे। हज़रत वालिद साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि मैंने उनको हमेशा इस तरह देखा कि कभी किसी आदमी की मुंह पर तरदीद (खंडन) नहीं करते थे कि तुमने यह बात ग़लत कही, बल्कि अगर किसी ने ग़लत बात भी कह दी तो आप सुनकर फ़रमाते कि: अच्छा गोया कि आपका मतलब यह होगा, इस तरह उसकी तावील करके उसका सही मतलब उसके सामने बयान कर देते। उसके ज़रिए उसको तंबीह भी फ़रमा देते कि तुमने जो बात कही है वह सही नहीं है, लेकिन अगर यह बात इस तरह कही जाए तो सही हो जायेगा। सारी उम्र कभी किसी के मुंह पर तरदीद नहीं फ़रमाई।

अपना दिल साफ़ कर लो

इसलिए अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई है, दोस्त है, या अ़ज़ीज़ व क़रीब है, या रिश्तेदार है। अगर उस से कोई ग़लत मामला ज़ाहिर हुआ है तो तुम भी उसकी कोई

तावील तलाश कर लो कि शायद फ़लां मजबूरी पैदा हो गई होगी। तावील करके अपना दिल साफ़ कर लो। और अगर शिकायत करनी ही है तो नरम लफ़्ज़ों में उस से शिकायत कर लो कि फ़लां वक़्त तुम्हारी बात मुझे नागवार गुज़री, अगर कोई वज़ाहत पेश करे तो उसको क़बूल कर लो, यह न करो कि उस शिकायत को लेकर बैठ जाओ और उसकी बुनियाद पर झगड़ा खड़ा कर दो। इसी लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "ला तुमारि अख़ा–क" अपने भाई से झगड़ा न करो।

यह दुनिया चन्द दिन की है

मियां! यह दुनिया कितने दिन की है, चन्द दिन की दुनिया है, कितने दिन की गारन्टी लेकर आए कि इतने दिन ज़िन्दा रहोगे। और आ़म तौर पर शिकायतें दुनिया की बातों पर होती हैं कि फ़लां ने मुझे दावत में नहीं बुलाया, फ़लां ने मेरी इज़्ज़त नहीं की, फ़लां ने मेरा एहतिराम नहीं किया। ये सब दुनिया की बातें हैं। यह दुनिया का माल व दौलत, दुनिया का असबाब, दुनिया का रुतबा, दुनिया की शोहरत, दुनिया का ओ़हदा, इन सब की कोई हक़ीक़त नहीं है, न जाने कब फ़ना हो जाएं, कब ये चीज़ें छिन जाएं। इसके बजाए वहां के बारे में सोचो जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा हमेशा की ज़िन्दगी गुज़ारनी है। वहां क्या हाल होगा? वहां किस तरह ज़िन्दगी बसर करोगे? वहां पर अल्लाह तआ़ला के सामने क्या जवाब दोगे? इसकी फ़िक्र करो। हदीस शरीफ़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि

व सल्लम ने फ़रमायाः

اعمل لدنیاك بقدرك بقائك فیها،واعمل لآخرتك بقدربقائك فیها۔

यानी दुनिया के लिए इतना काम करो जितना दुनिया में रहना है, और आख़िरत के लिए उतना काम करो जितना आख़िरत में रहना है।

याद रखिए! यह माल व दौलत, यह शोहरत, यह इज़्ज़त, सब आनी जानी चीज़ें हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगी।

कल क्या थे? आज क्या हो गए

वे लोग जिनका दुनिया में डंका बज रहा था, जिनका तूती बोल रहा था, जिनकी हुकूमत थी, जिनके नाम से लोग कांपते थे, आज जेलख़ानों में पड़े सड़ रहे हैं। और जिन लोगों के नामों के साथ इज़्ज़त व सम्मान के अलक़ाब लगाए जाते थे, आज उन पर अपराधों की फ़ेहरिस्तों के अंबार लगे हुए हैं कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने डाका डाला, उन्होंने रिश्वत ली, उन्होंने ख़ियानत की। अरे! किस इज़्ज़त पर, किस शोहरत पर, किस पैसे पर लड़ते हो, न जाने किस दिन और किस वक़्त अल्लाह तआला ये चीज़ें तुम से छीन ले। इन छोटी छोटी बातों पर तुमने झगड़े खड़े किए हुए हैं, इन बातों पर तुमने ख़ानदान उजाड़े हुए हैं। इसी वजह से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "ला तुमारि अख़ा-क" अपने भाई से झगड़ा मत करो।

कौन सा मज़ाक़ जायज़ है?

इस हदीस में सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने दूसरा हुक्म यह दिया कि:

"وَلَا تُمَازِحْهُ"

अपने मुसलमान भाई के साथ दिल्लगी और मज़ाक़ न करो।

इस हदीस में "मज़ाक़" से मुराद वह मज़ाक़ है जो दूसरे की गिरानी का सबब हो। अगर ऐसा मज़ाक़ है जो शरीअ़त की हदों के अन्दर है और तबीयत को ख़ुश करने के लिए किया जा रहा है, सुनने वाले को भी उस से कोई गिरानी नहीं है तो ऐसे मज़ाक़ में कोई हर्ज नहीं। बल्कि अगर वह मज़ाक़ हक़ है और उस मज़ाक़ में दूसरे को ख़ुश करने की नियत है तो उस पर सवाब भी मिलेगा।

मज़ाक़ उड़ाना और दिल्लगी करना जायज़ नहीं

एक होता है मज़ाक़ करना, एक होता है मज़ाक़ उड़ाना। मज़ाक़ करना तो दुरुस्त है, लेकिन किसी का मज़ाक़ उड़ाना कि उसके ज़रिए उसकी हंसी उड़ाई जाए और उसके साथ ऐसा मज़ाक़ और ऐसी दिल्लगी की जाए जो उसके लिए नागवार हो और उसके दिल को तक्लीफ़ पहुंचने का सबब हो, ऐसा मज़ाक़ हराम और नाजायज़ है। बाज़ लोग दूसरे की चिड़ बना लेते हैं, और यह सोचते हैं कि जब उसके सामने यह बात करेंगे तो वह ग़ुस्सा होगा और इसके नतीजे में हम ज़रा मज़ा लेंगे। यह वह मज़ाक़ है जिसको हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मना फ़रमा रहे हैं। इतना मज़ाक़ करो जिसको दूसरा आदमी बर्दाश्त कर सके। अब आपने दूसरे के साथ इतना मज़ाक़

किया कि उसके नतीजे में उसको परेशान कर दिया, अब वह अपने दिल में तंगी महसूस कर रहा है, तो याद रखिए! अगरचे इस मज़ाक़ के नतीजे में दुनिया में तुम्हें थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आख़िरत में उसका अ़ज़ाब बड़ा सख़्त है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। क्योंकि उसके ज़रिए तुम ने एक मुसलमान का दिल दुखाया और मुसलमान का दिल दुखाना बड़ा सख़्त गुनाह है।

इन्सान की इ़ज़्ज़त "बैतुल्लाह" से ज़्यादा

इब्ने माजा में एक हदीस है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ फ़रमा रहे थे, तवाफ़ करते हुए आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैतुल्लाह से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि:

ऐ बैतुल्लाह! तू कितना अ़ज़ीम है, तेरी क़द्र व रुतबा कितना अ़ज़ीम है कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह तआ़ला ने तुझे अपना घर क़रार दिया, तेरी हुर्मत कितनी अ़ज़ीम है, लेकिन ऐ बैतुल्लाह! एक चीज़ ऐसी है जिसकी हुर्मत (इ़ज़्ज़त) तेरी हुर्मत से भी ज़्यादा है, वह है मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी आबरू।

अगर कोई शख़्स ऐसा संगदिल और बद-बख़्त हो कि वह बैतुल्लाह को ढा दे, अल्लाह की पनाह। तो सारी दुनिया उसको बुरा कहेगी कि उसने अल्लाह के घर की कितनी बेहुरमती की है, मगर सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे हैं कि अगर किसी ने किसी मुसलमान की जान, माल, आबरू पर हमला कर दिया, या

उसका दिल दुखा दिया तो बैतुल्लाह को ढाने से ज़्यादा संगीन गुनाह है। लेकिन तुमने इसको मामूली समझा हुआ है और तुम दूसरे का मज़ाक़ उड़ा रहे हो, और उसकी वजह उसका दिल दुखा रहे हो और तुम मज़े ले रहे हो? अरे यह तुम बैतुल्लाह को ढा रहे हो, उसकी हुर्मत को पामाल कर रहे हो। इसलिए किसी को मज़ाक़ का निशाना बना लेना और उसकी हंसी उड़ाना हराम है।

ऐसा मज़ाक़ दिल में नफ़रत पैदा करता है

और यह मज़ाक़ भी उन चीज़ों में से है जो दिलों के अन्दर गिरहें डालने वाली हैं और दिलों के अन्दर दुश्मनियां और नफ़रतें पैदा कर देती हैं। अगर दूसरा तुम्हारे बारे में यह महसूस करे कि यह मेरा मज़ाक़ उड़ाता है, मेरी तौहीन करता है, तो बताओ क्या कभी उसके दिल में तुम्हारी मुहब्बत पैदा होगी? कभी भी मुहब्बत पैदा नहीं होगी, बल्कि उसके दिल में तुम्हारी तरफ़ से नफ़रत पैदा होगी कि यह आदमी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है और फिर उस नफ़रत के नतीजे में आपस में झगड़ा और फ़साद फैलेगा। लेकिन अगर यार दोस्त या अज़ीज़ और रिश्तेदार आपस में ऐसा मज़ाक़ कर रहे हैं जिसमें किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, तो शरई तौर पर ऐसे मज़ाक़ की इजाज़त है। शरीअ़त ने ऐसे मज़ाक़ पर पाबन्दी नहीं लगाई।

वायदों को पूरा करो

इस हदीस में तीसरा हुक्म यह दिया कि:

ولا تعده موعدًا فتخلفه۔

यानी कोई ऐसा वायदा न करो जिसको तुम पूरा न कर सको।

बल्कि जिस से जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करो, उस वायदे को निभाओ, वायदा करके पूरा न करने को हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने निफ़ाक़ की निशानी क़रार दी है। हदीस शरीफ़ में आता है कि नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

ثـلاث مـن كـن فيـه فهـو مـنـافـق: اذا حـدث كـذب، واذا وعـد اخلف،واذاأوتمن خان (نسائی شریف)

मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां

तीन बातें जिस शख़्स में पाई जाएं वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वायदा करे तो वायदे के ख़िलाफ़ करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वह उस अमानत में ख़ियानत करे। ये तीन बातें जिस शख़्स में पाई जाएं वह पक्का मुनाफ़िक़ है। इस से मालूम हुआ कि वायदे के ख़िलाफ़ करना निफ़ाक़ की अ़लामत और निशानी है। इसलिए अगर तुम्हें भरोसा न हो कि मैं वायदा पूरा कर सकूंगा, तो वायदा मत करो। लेकिन जब एक बार वायदा कर लो तो जब तक कोई उज़्र पेश न आ जाए, उस वक़्त तक उसकी पाबन्दी लाज़िम है।

बच्चों से किया हुआ वायदा पूरा करो

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यहां तक फ़रमाया कि बच्चों से भी जो वायदा करो उसको पूरा करो। रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने एक बच्चे को बुलाते हुए कहा कि मेरे पास आओ, हम तुम्हें चीज़ देंगे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा वाक़ई उसको कुछ देने का इरादा था या वैसे ही उसको बहलाने के लिए कह दिया। उन सहाबी ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह! मेरे पास खजूर है, वह देने का इरादा था। आपने फ़रमाया कि अगर तुम वैसे ही वायदा कर लेते और कुछ देने का इरादा न होता तो तुम्हें उस बच्चे के साथ वायदा ख़िलाफ़ी करने का गुनाह होता। और बच्चे के साथ वायदा ख़िलाफ़ी करने का मतलब यह है कि तुमने बच्चे को शुरू से यह तालीम दे दी कि वायदा ख़िलाफ़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, और तुम ने पहले दिन से ही उसकी तरबियत ख़राब कर दी। इसलिए बच्चों के साथ वायदा ख़िलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बच्चों के साथ भी जो वायदा किया है उसको पूरा करो।

और बाज़ वायदा ख़िलाफ़ियां तो ऐसी होती हैं कि आदमी यह समझता है कि मैंने फ़लां के साथ वायदा किया हुआ है, मुझे उसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाज़ वायदा ख़िलाफ़ियां ऐसी होती हैं जिनकी तरफ़ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि वह भी कोई वायदा ख़िलाफ़ी है।

उसूल और क़ानून की पाबन्दी न करना वायदा ख़िलाफ़ी है

जैसे हर इदारे के अपने कुछ क़ायदे और क़ानून होते हैं। चुनांचे जब हम किसी इदारे में नौकरी करते हैं तो उस इदारे के साथ जुड़ते वक़्त हम अ़मली तौर पर यह वायदा करते हैं कि उस इदारे के क़ायदे और क़ानूनों की पाबन्दी करेंगे। या जैसे आपने पढ़ने के लिए दारुल उलूम में दाख़िला ले लिया, तो दाख़िला लेते वक़्त तालिब इल्म से एक लिखित वायदा भी लिया जाता है कि मैं यह यह काम नहीं करूंगा और यह यह काम करूंगा, और अगर किसी तालिब इल्म से लिखित वायदा न भी लिया जाए तब भी दाख़िल होने के मायने ही यह हैं कि वह यह इक़रार कर रहा है कि दारुल उलूम के जो क़ायदे क़ानून हैं मैं उनकी पाबन्दी करूंगा, अब अगर कोई तालिब इल्म उन क़ायदे क़ानूनों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करेगा तो यह उस वायदे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी होगी और यह अ़मल नाजायज़ और गुनाह होगा।

जो क़वानीन शरीअ़त के ख़िलाफ़ न हों उनकी पाबन्दी लाज़िम है

इसी तरह जो आदमी किसी मुल्क की शहरियत (नागरिकता) इख़्तियार करता है तो वह शख़्स अ़मली तौर पर उस मुल्क के साथ यह मुआ़हदा करता है कि मैं इस मुल्क के क़वानीन की पाबन्दी करूंगा, जब तक कि कोई

क़ानून मुझे शरीअ़त के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी काम पर मजबूर न करे। अगर कोई क़ानून ऐसा है जो शरीअ़त के ख़िलाफ़ काम करने पर मजबूर करता है तो उसके बारे में नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमा दिया कि:

لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق۔

यानी ख़ालिक़ की नाफ़रमानी में मख़्लूक़ की इताअ़त नहीं है।

अगर किसी काम से शरीअ़त तुम्हें रोक दे तो फिर उस काम के करने को चाहे कोई बादशाह कहे या कोई राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री कहे, या कोई क़ानून उस काम का हुक्म दे, लेकिन तुम उस हुक्म के मानने के पाबन्द नहीं हो, बल्कि तुम अल्लाह तआ़ला का हुक्म मानने के पाबन्द हो।

क़ानून के ख़िलाफ़ करना वायदा ख़िलाफ़ी है

इसलिए अगर कोई क़ानून आपको गुनाह पर मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि जायज़ चीज़ों से मुताल्लिक़ कोई क़ानून बना हुआ है तो उस सूरत में हर नागरिक चाहे वह मुसलमान हो या ग़ैर मुस्लिम हो, अपनी हुकूमत से यह मुआ़हदा करता है कि मैं क़वानीन की पाबन्दी करूंगा। अगर कोई शख़्स बिला उज़्र क़ानून के ख़िलाफ़ करता है तो यह भी वायदा ख़िलाफ़ी में दाख़िल है।

ट्रैफ़िक के क़ानूनों की पाबन्दी करें

जैसे ट्रैफ़िक के क़ानून हैं कि जब लाल बत्ती जले तो

रुक जाओ और जब हरी बत्ती जले तो चल पड़ो। इस क़ानून की पाबन्दी शरई तौर पर भी ज़रूरी है, इसलिए कि तुमने वायदा किया हुआ है कि मैं इस मुल्क के क़वानीन की पाबन्दी करूंगा। अगर तुम इस क़ानून को रौंदते हुए गुज़र जाते हो तो इस सूरत में वायदा ख़िलाफ़ी के गुनाह के मुज्रिम होते हो और अ़हद तोड़ने के गुनाह के मुज्रिम होते हो। चाहे वह मुस्लिम मुल्क हो या ग़ैर मुस्लिम मुल्क हो।

बेरोज़गारी भत्ता वुसूल करना

इंग्लैण्ड की हुकूमत एक बेरोज़गारी भत्ता जारी करती है। यानी जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको एक भत्ता दिया जाता है। गोया कि रोज़गार मिलने तक हुकूमत उनकी किफ़ालत करती है। यह एक अच्छा तरीक़ा है। लेकिन हमारे बाज़ भाई जो यहां से वहां गए हैं, उन्होंने उस बेरोज़गारी को अपना पेशा बना रखा है। अब ऐसे लोग रात को चोरी छुपे नौकरी कर लेते हैं और साथ में बेरोज़गारी भत्ता भी वुसूल करते हैं। अच्छे ख़ासे नमाज़ी और दीनदार लोग यह धन्धा कर रहे हैं। एक बार एक साहिब ने मुझ से इसके बारे में मसला पूछा तो मैंने बताया कि यह अ़मल तो बिल्कुल ना जायज़ और गुनाह है। अव्वल तो यह झूठ है कि बेरोज़गार नहीं हो लेकिन अपने को बेरोज़गार ज़ाहिर कर रहे हो, दूसरे यह कि तुम हुकूमत के क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी कर रहे हो, क्योंकि जब तुम उस मुल्क में दाख़िल हो गए हो तो अब उस मुल्क के जायज़ क़ानून की

पाबन्दी लाज़िम है। उन साहिब ने जवाब में कहा कि यह तो ग़ैर मुस्लिम हुकूमत है, और ग़ैर मुस्लिम हुकूमत का पैसा जिस तरह भी हासिल हो उसको लेकर ख़र्च करना जायज़ है। अल्लाह की पनाह। अरे भाई! जब तुम उस मुल्क में दाख़िल हुए थे उस वक़्त तुमने यह वायदा किया था कि हम इस मुल्क के क़वानीन की पाबन्दी करेंगे, इसलिए अब उस मुल्क के क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना जायज़ नहीं, और जिस तरह मुसलमान के साथ वायदे के ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं, इसी तरह काफ़िरों के साथ भी वायदे के ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं। और उस वायदे के ख़िलाफ़ करने के नतीजे में जो पैसा हासिल होगा वह भी नाजायज़ और हराम होगा।

ख़ुलासा

बहर हाल! झगड़े का एक बहुत बड़ा सबब यह वायदा ख़िलाफ़ी है। अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व करम से हम सब को सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन अहकाम पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

واٰخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين